प्रेस नोट
दिनांक 20.02.2026

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्यॉं के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 97/2026 धारा 109(1), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 352 BNS व 7 CLA Act से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त- प्रमोद पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम चंगेरिया थाना को कर्नलगंज को मसौलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.02.2026 को वादी विष्णुदेव पुत्र कमला प्रसाद दीक्षित नि0 ग्राम चंगेरिया थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.02.2026 को समय करीब रात 10.00 बजे प्रार्थी के पिता को पुरानी रंजिश को लेकर प्रमोद पुत्र माता प्रसाद व अन्य लोगों द्वारा शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया तथा शोर मचाने पर गाँव के लोग आ गये जिससे विपक्षीगण भाग गये, भागते समय उनके द्वारा कट्टे से फायरिंग की गई जिससे घर में मौजूद लड़के आर्यन दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 20.02.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 01 आरोपी अभियुक्त- प्रमोद पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम चंगेरिया थाना को कर्नलगंज को मसौलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01.. प्रमोद पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम चंगेरिया थाना को कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0- 97/2026 धारा 109(1), 115(2), 191(2), 191(3), 190, 352 BNS व 7 CLA Act थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. उ0नि0 मृत्युन्जय सिंह मय
02. उ0नि0 चन्द्रशेखर
03. हे0कां0 महेन्द्र प्रसाद
04. कां0 पंकज कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।